विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 73/2025
दायरा दिनांकः–11.08.2025
निर्णय दिनांकः– 17-12-25

उनवान

1. मोहम्मद नदीम आयु 43 साल पुत्र मोहम्मद अजीज जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. सफातुल्ला आयु 35 साल पुत्र हाफिज जिया उल्ला खां जाति मुसलमान निवासी नलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां
2. आबेदा खानम आयु 35 साल पत्नि मोहम्मद सलमान खान जाति मुसलमान निवासी छबडा जिला बारां (राज0)
3. जेंबुन्नीसा बी आयु 69 साल पत्नि मती उल्ला जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,128 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 17-12-25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश गालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,111,128 एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल छबडा पटवार मण्डल छबड़ा तहसील छबड़ा मे जमाबंदी सम्वत 2074 2077 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 411 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 848/1 रकबा 1.7705 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जो प्रार्थीगण के नाम शामलाती मे दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 848 रकबा 1.7705 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी कम 2 व 3 के नाम शामलाती मे दर्ज रिकार्ड जमावन्दी चली आ रही है। जिस पर अप्रार्थी 2 व 3 निर्वाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 848/1 दक्षिण दिशा की ओर है जिस पर ही काबिज है। एंव अप्रार्थी कम संख्या 2 व 3 की कृषि आराजी खसरा नम्बर 848 उत्तरी दिशा की ओर स्थित है जिस पर ही काबिज

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जिसको हल्का पटवारी द्वारा ऑनलाईन तरमीम की गई जो सहवन से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 848/1 की पश्चिमी दिशा की ओर एंव अप्रार्थीगण 2 व 3 की खसरा नम्वर 848 की पूर्वी दिशा की ओर तरमीम कर दी गई है जो अशुद्ध दर्ज हो गई है जिसे प्रार्थीगण शुद्ध कराने के अधिकारी है। मद नम्वर 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि आराजी एवं मद नम्बर 2 वर्णित अप्राथी कम 2 व 3 की कृषि आराजी की ऑनलाईन नक्शा रिकार्ड मे गलत तरमीम दर्ज हो गई है। जिस कारण प्रार्थीगण व. अप्रार्थी कम 2 व 3 को भविष्य में अनेक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा। इसलिए प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी कम 2 व 3 के खसरा नम्बरान की तरमीम ऑनलाईन नक्शा राजस्व नक्शा लड़ा में सही जगह करवायी जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी की आनलाईन नक्शा नकल निकलवाई तब पता चला कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी कम 2 व 3 के खसरा नम्वरान की तरमीम आनलाइन नक्शा में गलत जगह दर्ज हो रही है तब प्रार्थीगण हल्का पटवारी जी के पास गया तब हल्का पटवारी जी ने सम्माननीय न्यायालय मे शुद्धी करवाने हेतु कहा। अप्रार्थी कम 1 लेण्ड होल्डर होने से एंव ऑनलाईन राजस्व नक्शा रिकार्ड मे गलत तरमीम की गई जिस कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2,3 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब व रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा.मि. है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 411 नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 848 नकल नक्शा ट्रेस 848/1 नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 848 नकल जमाबन्दी कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 144 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड शाफतुल्ला खान, मो0 नदीम पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम कस्बा छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 848/1 दक्षिण दिशा की ओर है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है अप्रार्थी क्रम 2,3 की भूमि खसरा नम्बर 848 उत्तरी दिशा में स्थित है जिस पर अप्रार्थी काबिज है ऑन लाईन तरमीम करतें समय सहवन से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 848/1 पश्चिम दिशा की ओर एवं अप्रार्थी क्रम 2,3 की भूमि खसरा नम्बर 848 पूर्वी दिशा की ओर तरमीम कर दी गई है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 848/1 एवं अप्रार्थी क्रम 2,3 की भूमि खसरा नम्बर 848 का नजरी नक्शा पेश किया है अप्रार्थी क्रम 2 व 3 ने इकबाली जवाब पेश अनुतोष प्रार्थीगण पूर्णतय स्वीकार है प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 को नक्शा दुरूस्त कराने में सहमत है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वाके माल छबडा में जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 411 में खसरा नम्बर 848/1 रकबा 1.7705 है0 भूमि दर्ज है जो प्रार्थीगण मो0 नदीम पुत्र मो0 अजीज एवं सफातुल्ला पुत्र हाफिज जियाउल्ला खां जाति मुसलमान के शामलाती में खाता दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 144 में खसरा नम्बर 848 रकबा 1.7705 है भूमि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण आबेदा खानम पत्नि मो0 सलमान खान एवं जेबुन्निसा बी पत्नि मतीउल्ला जाति मुसलमान सा0देह छबडा के शामलाती में खाता दर्ज है उक्त खसरा नम्बर 848 एवं 848/1 सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम की गई थी। जो खसरा नम्बर 848/1 पश्चिम दिशा एवं खसरा नम्बर 848 पूर्व दिशा में है लेकिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वर्तमान मौके पर खसरा नम्बर 848 उत्तर दिशा एवं खसरा नम्बर 848/1 दक्षिण दिशा में काबिज है वर्तमान मौके पर काबिज अनुसार तरमीम करने एवं पूर्व तरमीम को निरस्त करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छवडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 411 के खसरा नम्बर 848/1 प्रार्थीगण के खातेदरी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम करबा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 848 अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के खातेदारी में दर्ज है नकनल नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 848/1 पश्चिम दिशा में एवं खसरा नम्बर 848 पूर्व दिशा में तरमीम किया गया। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 848/1 की भूमि दक्षिण दिशा में एंड अप्रार्थी क्रय 2,3 की भूमि खसरा नम्बर 848 उत्तर दिशा में होना बताया है तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना बताया है अप्रार्थी क्रम 2,3 ने इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। ऑन लाईन तरमीम दूरूस्त कराने में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहमत है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 848/1 रकबा 1.7705 है0 भूमि की दक्षिण दिशा में एवं अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के खसरा नम्बर 848 रकबा 1.7705 है0 भूमि उत्तर दिशा में ऑन लाईन एवं नक्शा लटठा में तरमीम दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा